(c) whether the aim of rural industrialization is to provide employment to all by 2000 AD; and

(d) the steps being taken to achieve this target?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) No, Sir. The progress of Integrated Infrastructural Development (IID Scheme) is quite satisfactory and the Scheme is successful. Till now, Government has sanctioned 40 IID centres in various states and these are at different stages of implementation. Out of the 40 centres sanctioned so far, 8 are at an advanced stage of completion. 8 more proposals for setting up IID Centres are in the pipeline Further, in view of the emphasis on the development of North-East region, the quantum of Central grant for IID Centres in the North-East region has been recently enhanced from Rs. 2 crores to Rs. 4 crores.

(c) and (d) No, Sir. Rural industrialisation alone may not be adequate to provide employment to all. However, the implementation of IID Scheme generates employment during the course of the development work on the IID Centre and thereafter when the units are set up. Besides, Rural Employment Generation Programme (REGP) is also being implemented to create 2 million jobs through the development of Khadi and Village Industries.

रूग्ण लघु उद्योगों को पुनः चालू करने की योजना

3563. **श्री नागमणि:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रूग्ण लघु उद्योगों को वित्तीय रूप से अर्थक्षम बनाने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान इन उद्योगों को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) इस संबंध में किस हद तक सफलता मिली है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) सरकार ने राज्य रूग्ण लघु उद्योगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए समय-समय पर कई उपाय किये हैं। इन उपायों में (1) लघु उद्योग सेवा संस्थाओं द्वारा अर्थक्षम परियोजनाओं के चयन में उद्यमियों को दिशा-निर्देश; (2) उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण; (3) निरीक्षण, दिशानिर्देश, कार्यशाला उत्पादों की जांच, टूल रूम तथा उत्पाद — सह प्रक्रिया विकास सुविधाओं के जारिये तकनीकी सहायता; (4) विशिष्टीकृत बैंक शाखाओं के जरिये लघु औद्योगिक एककों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति सहित लघु औद्योगिक एककों की ऋण आवश्यकताओं की पर्याप्त रुप से पूर्ति करने के लिए दिशा निर्देश (5) मूल्य एवं क्रय अधिमानता के जरिये तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और राज्य लघु उद्योग विकास निगम के माध्यम से विपणन सहायता (6) राज्य सरकारें द्वारा विकसित औद्योगिक भूखंडों, शेडों आदि के जरिये अवसंरचनात्मक सहायता (7) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के जरिये पुनर्वित तथा इक्विटी सहायता शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने संस्थागत ऋणों की पर्याप्त और रूग्णता जैसे संगत मुद्दों की जांच करने के लिए रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्री पी०आर० नायक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने सितंबर, 1992 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, रूग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों का पता लगाने, उन की पुनर्स्थापना के लिए विभिन्न उपायों की संस्तुति की है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने रूग्ण लघु औद्योगिक एककों को अर्थक्षम बनाने की दिशा में कई उपाय किये हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल है:—

—भारतीय रिजर्व बैंक ने 17.4.93 को सभी वाणिज्यिक बैंकों को नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर रूग्ण लघु औद्योगिक एककों की संशोधित परिभाषा पर सलाह दी।

—पुनर्वास हेतु (भारतीय रिजर्व बैंक का दिनांक 17 अप्रैल, 1993 का आदेश आर०पी०सी०डी० संख्या पी एल एन एफ एस बी सी 99 / 06.02.31 / 92-93) मौजूदा न्यूनतम ऋण दर से 1.5 से 3.0% तक कम दर पर कार्यशील पूंजी आवधिक ऋण के लिए कम ब्याज दर।

—बैंकों द्वारा अभिज्ञात रुग्ण एककों के जीव्यक्षमता संबंधी तत्काल अध्ययन/उपचार कार्यक्रम (भारतीय रिजर्व बैंक का आदेश आर पी सी डी संख्या पी एल एन एफ एल बी सी 1/06.02.31/92-93 दिनांक 3 जुलाई, 1993)।

—रुग्ण औद्योगिक एककों के कार्य को देखने के लिए प्रमुख स्थानीय केन्द्रों और प्रधान कार्यालय में प्रकोष्ठों को खोलना और रूग्ण एककों के पुनर्जीवन के लिए तकनीकी पहलुओं की जांच करने हेतु तकनीकी कार्मिकों सहित कुशल कर्मचारियों की व्यवस्था करना।

—भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण विभाग के स्थानीय प्रभारी इन समितियों के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं। लघु तथा मझौले औद्योगिक एककों की समस्याओं पर सूचना के अदान-प्रदान और विचार-विमर्श के लिए एक उपयोगी मंच की व्यवस्था करने हेतु सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में संबंधित राज्य सरकारों के उद्योग विभागों के सचिवों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अंतः संस्थागत समितियां कार्य कर रही है। इस समिति में लघु उद्योग सेवा संस्थान लघु उद्योग विकास निगम, राज्य वित्तीय निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और संबंधित राज्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। जिन अन्य बैंकों/संगठनों का सहयोग समिति के विचार-विमर्श हेतु आवश्यक समझा जाता है उन्हें विशेष बैठक के लिए विशेष आमंत्रण भेजा जाता है। समिति की बैठक त्रैमासिक होती है और जीव्यक्षम रुग्ण एककों के पुनर्वास से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों को एक मंच पर लाती है ताकि सर्वसम्मति के आधार पर पुनर्वा हेतु विस्तृत मानदंड उभर सकें।

(ख) केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता नहीं देती है। तथापि, भारतीय लघु विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संभाव्य अर्थक्षम रूग्ण एककों पुनर्स्थापना के लिए एक पृथक पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अधीन पिछले दो वर्षों के दौरान सिडबी द्वारा स्वीकृत तथा वितरित राशि इस प्रकार है:—

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	संख्या	स्वीकृति	वितरण
1996-97	55	3.20	1.09
1997-98	32	3.31	0.82

चालू वर्ष के लिए सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) लघु औद्योगिक क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में रूग्णता की घटनाओं में कमी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार, देश में रूग्ण लघु एककों की संख्या जो मार्च, 1995 के अंत में 2,68,815 थी, मार्च, 1997 के अंत में घटकर 2,35,032 हो गई है।

Freight Equalisation for Coal and Iron Ore

3564. SHRI ASHOK MITRA:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the effects of the decision to modify the policy of freight equalisation with respect to coal and iron ore have been studied at some depth;

(b) whether in the light of experience gathered from the partial withdrawal of the freight equalisation policy, Government intends to move towards a full reversal of freight equalisation; and

(c) whether representations have been received from State Governments on the pros and cons of full withdrawal?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) There has been no system of freight equalisation scheme with respect to transport of coal and iron ore and consequently there was never an occasion to study a modification of the policy of equalisation.

(b) and (c) Does not arise.